



बिजनौर पुलिस

Date: - 31-05-2022



PRESS
NOTE



थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड, 04 बने/अधबने शस्त्र, शस्त्र बनाने के उपकरणों सहित शातिर अभियुक्त आरिफ गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा “ऑपरेशन पाताल” के अन्तर्गत जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण/क्रय/विक्रय/परिवहन आदि के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) व क्षेत्राधिकारी, अफजलगढ के कुशल पर्यवेक्षण मे थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा दिनांक 30.05.22 को समय करीब 21.50 बजे मुखबिर की सूचना पर भागीजोत चौराहा के पास बंद पडे मुर्गी फार्म मे अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन कर रहे अभियुक्त **आरिफ पुत्र इरफान नि0 मौ0 इस्लामनगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर हाल पता ग्राम मौहम्मदपुर राजौरी थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर** को 04 बने/अधबने तमंचे तथा शस्त्र बनाने के उपकरण सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 131/22 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त शातिर किस्म का पशु चोर तथा डकैत है। अभियुक्त के विरुद्ध जनपद मुरादाबाद के विभिन्न थानों पर पुलिस मुठभेड, डकैती सहित लगभग डेढ़ दर्जन अभियोग पंजीकृत है। **अभियुक्त थाना नूरपुर का हिस्ट्रीशीटर (हिस्ट्रीशीट सं-116/ए) तथा थाना सिविल लाइन, जनपद मुरादाबाद का गैंगस्टर अभियुक्त है।** अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया कि वह अपनी निजी शौक व जरूरतों को पूरा करने के लिये अवैध शस्त्रों का निर्माण कर उनका विक्रय करता है। अभियुक्त द्वारा बनाये गये अवैध शस्त्रों को कहां-कहां विक्रय किया गया है, रिमाण्ड पर लेकर पूछताछ की जायेगी।

अभियुक्त का नाम व पता:-

1.आरिफ पुत्र इरफान नि0 मौ0 इस्लाम नगर कस्बा व थाना-नूरपुर जिला बिजनौर उम्र-40 वर्ष हाल निवासी-ग्राम- मौहम्मद पुर राजौरी थाना-अफजलगढ बिजनौर ।



आपराधिक इतिहास:-

मु0अ0सं0 0142/2020 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
मु0अ0सं0 0366/2020 धारा 60 आब0 अधि0 थाना थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
मु0अ0सं0 430/2018 धारा 395/411 भादवि थाना पाकबाड़ा जनपद मुरादाबाद ।
मु0अ0सं0 1193/2018 धारा 395/411 भादवि थाना सिविल लाईन मुरादाबाद ।
मु0अ0सं0 1199/2018 धारा 147/148/149/307 भादवि थाना सिविल लाईन मुरादाबाद ।
मु0अ0सं0 1201/2018 धारा 4/25, 27 आर्म्स एक्ट थाना सिविल लाईन मुरादाबाद ।
मु0अ0सं0 8001/2019 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना सिविल लाईन मुरादाबाद ।
मु0अ0सं0 131/2022 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली अफजलगढ़ ।

बरामदगी का विवरण:-

01 बना तमंचा 315 बोर, 03 अधबने तमंचे 12 बोर, तमंचे की लकड़ी 20 चाप, तमंचे की 11 नाल, 05 रेती, लोहा काटने के ब्लेड, हथौड़ी, 02 प्लास, 01 संडासी, कटर, 03 छेनी, 01 सुम्बी, ड्रिल मशीन, पेंचकस, 08 लोहे की छोटी/बड़ी पत्ती, 01 गैस सिलैण्डर, 01 हैंमर, ट्रेगर, 08 रिपट छोटी/बड़ी, 20 स्प्रिंग छोटी/बड़ी, 10 स्कू/छोटे, 01 कारतूस जिंदा 315 बोर,

01 कारतूस जिंदा 12 बोर तथा शस्त्र बनाने के अन्य उपकरण।

पुलिस टीम का विवरण:-

श्री मनोज कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक, उ0नि0 श्री दिनेश कुमार शर्मा, कां0 1401 राहुल कुमार, कां0 930 मार्शल

कां0 35 ओम सिंह।

थाना नांगल पुलिस द्वारा आपरेशन पाताल के तहत 03 अभि0गण अवैध तमंचे मय कारतूस सहित गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा "ऑपरेशन पाताल" के अन्तर्गत जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण/क्रय/विक्रय/परिवहन आदि के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) व क्षेत्राधिकारी, नजीबाबाद के कुशल पर्यवेक्षण मे थाना नांगल पुलिस द्वारा आज दिनांक 31.05.2022 को मुखविर की सूचना पर थाना नांगल क्षेत्र के दहीरपुर के कब्रिस्तान के पास से चेकिंग के दौरान अभियुक्तगण 1- इरफान उम्र 40 वर्ष पुत्र स्व0 कामिल निवासी ग्राम दहीरपुर थाना नांगल बिजनौर, 2-मुस्तकीम उम्र 40 पुत्र मौ0 यूनुस निवासी कोटसराय थाना नांगल जनपद बिजनौर, 3- मकबूल उम्र 45 वर्ष पुत्र स्व0 कलवा निवासी कोटसराय थाना नांगल जनपद बिजनौर को 03 तमंचे 315 बोर मय 03 जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना नांगल पर मु0अ0सं0 110/22 से मु0अ0सं0 112/22 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 बनाम उपरोक्त पंजीकृत किये गये।

अभियुक्त का नाम व पता:-

- 1- इरफान उम्र 40 वर्ष पुत्र स्व० कामिल निवासी ग्राम दहीरपुर थाना नांगल बिजनौर।
- 2- मुस्तकीम उम्र 40 पुत्र मौ० यूनुस निवासी कोटसराय थाना नांगल जनपद बिजनौर।
- 3- मकबूल उम्र 45 वर्ष पुत्र स्व० कलवा निवासी कोटसराय थाना नांगल जनपद बिजनौर।



बरामदगी:-

03 तमन्चे 315 बोर

03 कारतूस 315 बोर जिन्दा

गिरफ्तारी व बरामदगी टीम:-

- 1- श्री श्यामवीर सिंह थानाध्यक्ष नांगल, 2- उ०नि० श्री देवनन्द, 3- कां० 421 नेत्रपाल राठी, 4- कां० 1320 सोनू कुमार, 5- कां० 360 शाने आलम, 6- कां० 1380 इमरान खान थाना नांगल जनपद बिजनौर।

थाना मण्डावर:- आज दिनांक 31.05.2022 को थाना मण्डावर पुलिस द्वारा अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में अभि०गण 1- भोपाल पुत्र कलवा उम्र 46 वर्ष निवासी ग्राम शिमला कला नई बस्ती थाना मंडावर जनपद बिजनौर, 2. सरनवीर उर्फ सोनू पुत्र नंदराम निवासी ग्राम मुजफ्फरपुर केशो थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर, 3. भोपाल पुत्र कलवा उम्र 56 वर्ष, 4. प्रमोद पत्र भोपाल उम्र 26 वर्ष, 5. राहुल पुत्र भोपाल उम्र 20 वर्ष निवासीगण ग्राम नारायणपुर थाना मंडावर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया।





बिजनौर पुलिस



नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन

थाना हल्दौर:- मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति के अन्तर्गत थाने पर गठित पुलिस टीम द्वारा अपने थाना क्षेत्र में बालिकाओं/छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हेल्पलाईन नम्बर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** की जानकारी दी गई। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कॉलेजों के आसपास बेवजह घूम रहे मनचलों पर शिकंजा कसा गया।



थाना मण्डावर:- मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति के अन्तर्गत थाने पर गठित पुलिस टीम द्वारा अपने थाना क्षेत्र में बालिकाओं/छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हेल्पलाईन नम्बर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** की जानकारी दी गई। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कॉलेजों के आसपास बेवजह घूम रहे मनचलों पर शिकंजा कसा गया।



थाना रेहड:- मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति के अन्तर्गत थाने पर गठित पुलिस टीम द्वारा अपने थाना क्षेत्र में बालिकाओं/छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हेल्पलाईन नम्बर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** की जानकारी दी गई। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कॉलेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।

